न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 20/2014 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— बूटासिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

— बनाम —

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री नायबसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 14 .11.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 10.11.2014, जिसमें अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 3/2004 डीएम श्रीगंगानगर कों निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 3/2004 डीएम श्रीगंगानगर दिनांक 7.6.2014 तक नवीनीकृत है, जिस पर पर 12 बोर गन सं. डीबीबीएल 7177 दर्ज है। उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.5.2014 को आवेदन पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से जांच करवा कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1211 दिनांक 12.6.14 के अनुसार प्रार्थी अपीलांट के विरूद्ध अ.सं. 90/08 अन्तर्गत धारा 323, 324, 341, एवं 34 आईपीसी में दर्ज हुआ है, जिसमें दिनांक 19.1.2.08 को न्यायालय में चालान पेश हुआ और दिनांक 25.7.11 को जरिये राजीनामा निर्णय हो चुका है, दूसरा अ.सं. 100/08 अन्तर्गत धारा 323, 34 आईपीसी में दर्ज हुआ है, जिसमें दिनांक 3.1.09 को न्यायालय में चालान पेश हुआ और दिनांक 26.4.11 को निर्णीत हुआ, जिसमें,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रार्थी अपीलांट को 1000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध उक्त आपराधिक प्रकरणों के मध्यनजर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा लाईसेंस नवीनीकरण किया जाना '' अनुचित है'' की टिप्पणी की गयी, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री नायबसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील मीमो में अंकित तथ्यों तथा संलग्न साक्ष्यों को ही अपनी बहस बतलाया। अपील मीमो में मुख्य रूप से कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण मुकदमा सं. 90/08 में राजीनामा हुआ है और मुकदमा सं. 100/08 में अपीलांट को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा गया हे जो कि गलत निर्णय है। अपीलांट खेती पेशा व्यक्ति है। मुकदमा सं. 100/08 में अपीलांट को परिवीक्षा का लाभ दिया लेकिन उक्त मुकदमें में ऐसा नहीं था कि प्रार्थी नेअपने लाईसेंस शुदा हथियार का प्रयोग किया या उसका गलत इस्तेमाल किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन है। लाईसेंस जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी है, जिसे निरस्त करने का अधिकार अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ को नहीं है। यह अधिकार जिला दण्ड नायक को ही है। पूर्व में बन्दूक का लाईसेंस प्रार्थी के पिता के नाम था उनकी मृत्यु होने पर अपीलांट प्रार्थी ने अपने नाम उक्त लाईसेंस बना कर पिता की बन्दूक को अपने लाईसेंस पर दर्ज करवाया है। प्रार्थी अपीलांट के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है वह एक सदाचारी नौजवान व्यक्ति है। उसने आज दिन तक अपने लाईसेंस शुदा हथियार का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 12.06.2014 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध दो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। मुकदमा संख्या 100/08 में अपीलांट को परिवीक्षा का लाभ देते हुए 1000/–रू. के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा गया है। इस प्रकार आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से आमजन में भय रहता है। व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट के विरूद्ध दर्ज हुए आपराधिक प्रकरणों में मुकदमा सं0. 90/08 में जरिये राजीनामा बरी किया गया तथा मुकदमा संख्या 100/08 में दोष सिध्द घोषित कर परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ते हुए 1000/–रुपये अर्थदण्ड से दण्डित गया है। इसी आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.06.2014 में स्पष्ट रूप से आवेदक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया है । राज्य पक्ष की ओर से सहा. लोक अभियोजक ने भी इसी आधार पर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 3/2004 डीएम. श्रीगंगानगर को निरस्त किये जाने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बतलाया है, जिससे हम सहमत हैं । अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष अन्य कोई साक्ष्य व सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर विचार किया जा सके। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मध्यनजर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2014 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 14–11–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर